



न्यायालय म०प्र० राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर

प्र०क्र० ० / निगरानी १० — ८७२ - I/१०

प्र०क्र० ० / निगरानी १० — ८७२ - I/१०
 विश्वनालाल पिता गिरधारीलाल आयु ५७ वर्ष
 निवासी शेरपुर हाल मुकाम गवली मोहत्ता
 लेलाना जिला रत्नाम ३०प्र०। — आवेदक
 किंचन्द

गट्टूलाल मृत वारिम
 १. मनोरमा विवा गट्टूलाल
 आदोक पिता गट्टूलाल
 संज्या पिता गट्टूलाल
 किंच पिता गट्टूलाल
 निवासी शेरपुर
 पुष्करलाल पिता प्रेमचन्द्र
 निरो कम्हारेला तह० पिपलोदा जिला रत्नाम
 — अनावेदकाण

पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भ० ८० रा० स०

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्त योग्य न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन
 मध्यभाग केन्द्र उज्जैन के प्र०क्र० १०/ अ-०७-०८ मे पारित आदेश दिनांक १९ '०१ '००
 मे अंत्युक्त एवं दुहित होकर निम्न कारपो के बाधार पर नक्ल के दिन मुजरा करने
 पर निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

१. यह कि अधिनस्त योग्य न्यायालय का आदेश जे अपील विधि विधान
 एवं रिकार्ड के विरोत होने ऐ निरस्त किये जाने योग्य है।
२. यह कि विवा दित भूमि का अग्रिम आवेदक व अनावेदकाण द्वारा -। के
 मध्य बेटवारा नहीं हुआ है। इस पारप विवादित भूमि भूमि का विलय करने का
 ऐ अधिकार गट्टूलाल को है। इस संबंध मे कोई जाँच किये बैगर अधिनस्त
 एवं अपील मे ने महान कैशनिट की है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मो प्र०, ग्वालियर

166

219

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी/872/एक/2010

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-8-19 ईता बैठक	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पूर्व में उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं। समय-समय पर 3 बार पुकार लगवायी गई, किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी पर खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"><u>(महेश यन्द्र औधरी)</u> <u>सदस्य</u></p> 	